चीनी घोटाले का यथार्थ

- डॉ. अरुण कुमार

सरकार द्वारा अपनाई गई उदारीकरण की नीति से आम जनता या राष्ट्र को कोई लाभ हुआ या नहीं, यह तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन राजनीतिज्ञों एवं नौकरशाहों ने उदारीकरण की नीतियों का अर्थ अपने हितों को साधने के संदर्भ में लगाया है और भ्रष्टाचार की अनवरत श्रृंखला इस नीति के अंतर्गत चलाई जा रही है- प्रतिभूति घोटाले की ही परम्परा में चीनी घोटाला उदारीकरण की व्यवस्था को नया आयाम देता है। यह अलग बात है कि इससे सारे राष्ट्र को नुकसान पहुँचे, लेकिन इन लोगों की उदारीकरण एवं बाजार व्यवस्था में इन बातों का कोई महत्व नहीं है। महत्व सिर्फ अपने पदों का दुरुपयोग कर अपने निजी स्वार्थों को साधने का है, आज भ्रष्टाचार का राजनीतिकरण हो गया है और उसे उदारीकरण के 'विशेषण' से सुशोभित किया गया है।

चीनी घोटाले का आरम्भ मार्च में सरकार द्वारा चीनी के शुल्क मुक्त आयात के लिए उसे खुले सामान्य लाइसेंस (OGL) के अंतर्गत लेने के निर्णय के कारण हुआ। इस निर्णय से खुदरा बाजार में चीनी की कीमतें 12 रुपये से बढ़कर 18 रुपये तक पहुँच गई। मांग को पूरा करने के लिए चीनी के आयात में बिना कारण देरी होने से सरकार को काफी नुकसान हुआ। चीनी की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 280 डॉलर प्रति टन से बढ़कर 360-380 डॉलर प्रति टन हो गई। इस घोटाले में भारतीय उत्पादकों ने खुले बाजार में चीनी बेचकर लगभग 300 करोड़ रुपये, स्थानीय थोक व्यापारियों ने चीनी की जमाखोरी कर लगभग 180-200 करोड़ रुपये अंतर्राष्ट्रीय व्यापारियों ने चीनी की बढ़ती कीमतों के कारण 250 करोड़ रुपये कमाए। भारत सरकार को इस घोटाले से लगभग 650-700 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। 150-170 करोड़ रुपये सरकार को चीनी को बढ़ती कीमतों के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अधिक देने पड़े और लगभग 500 करोड़ रुपये का नुकसान सब्सिडी के कारण होगा।

भारत विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक व उपभोक्ता है, एवं चीनी उद्योग पर काफी सीमा तक सरकार का नियंत्रण है। चीनी मिलों को अपने उत्पादन का 40% भाग सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत देना पड़ता है। चीनी की कीमतों के बढ़ने व घोटाले के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे-

1. गन्ना उत्पादन में कटौती;
2. गुड़ व खांड़सारी इकाइयों में गन्ने की अधिक मांग व अच्छी कीमतों के कारण ज्यादा खपत;
3. चीनी के आयात में राजनीतिकों व नौकरशाही के स्तर पर भ्रष्टाचार;
4. खुले बाजार में जाने वाली चीनी में कटौती।

दरअसल, चीनी संकट के संकेत 1991-92 में ही मिलने लगे थे। उस समय उत्पादन 134 लाख टन एवं मांग 115 लाख टन होने से चीनी के मूल्यों में काफी कमी आई जिसका प्रमुख कारण चीनी उद्योग द्वारा किसानों को समय पर भुगतान न दिया जाना, किसानों द्वारा गन्ने की कम कीमत के कारण उत्पादन में कमी लाना रहा। केन्द्र सरकार द्वारा जून, 1993 में चीनी मिलों के शीरा बेचने पर लगे कीमत व वितरण संबंधी नियंत्रणों को उठाने के निर्णय के कारण शीरे की कीमत में 15 गुनी बढ़ोत्तरी हुई। शीरे के महंगे होने के कारण अवैध शराब निर्माताओं द्वारा शराब निर्माण में शीरे की जगह गुड़ का प्रयोग आरम्भ कर दिया गया। इस कारण गुड़ की मांग एवं उत्पादन में वृद्धि हुई एवं गन्ने की अत्यधिक खपत गुड़ उत्पादन में होने लगी। इससे लगभग 90 लाख टन गन्ना गुड़ उत्पादकों के पास चला गया व चीनी उत्पादन लगभग 8 लाख टन घट गया। खाद्य मंत्रालय द्वारा खुले बाजार में चीनी की आपूर्ति 5.6 लाख टन से घटकर 4. 75 लाख टन प्रति माह करने व इस कमी की समय पर पूर्ति न कर पाने के कारण चीनी के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई। भारतीय खाद्य मंत्रालय द्वारा वर्ष 1994-95 में 120 लाख टन चीनी की मांग व 106 लाख टन चीनी उत्पादन का अनुमान लगाया गया। लेकिन खाद्य मंत्री द्वारा वास्तविकता को नजरअंदाज करके भारतीय चीनी मिल संघ (ISMA) और राष्ट्रीय सहकारी चीनी फैक्ट्री लिमिटेड संघ के अनुमानों के आधार पर देश में पर्याप्त उत्पादन व आयात की आवश्यकता न होने का तर्क प्रस्तुत किया गया।

देश में चीनी की कमी और चीनी आयात की आवश्यकता को चीनी मिल मालिकों एवं राजनीतिक द्वारा आपसी मिली-भगत से अनदेखा कर दिया गया और इस कारण चीनी के भाव तेजी से बढ़ते गये सरकार द्वारा चीनी की निकासी में कटौती किए जाने से इसमें तीव्र वृद्धि हुई, जबकि सरकार के पास लगभग 55 लाख टन चीनी का भंडार था, जो कि 7 लाख टन प्रति माह की निकासी के हिसाब से 6-7 महीने तक के लिए पर्याप्त होता। तब तक सस्ती आयातित चीनी भारत को उपलब्ध हो जाती। लेकिन चीनी लॉबी को लाभ पहुँचाने के लिए ऐसा नहीं किया गया। इस कारण भारत सरकार को लगभग 650-700 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ और आम जनता ने जो चीनी की ज्यादा कीमत दी, उसका आँकड़ा उपलब्ध नहीं है।

चीनी संकट की गम्भीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री ने मंत्रिस्तरीय बैठक बुलाई व वित्त मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया। इस घोटाले को लेकर नागरिक आपूर्ति मंत्रालय से लेकर वाणिज्य व खाद्य मंत्रालय ने एक दूसरे पर आरोप लगाए। दूसरी ओर खाद्य मंत्रालय ने गुड़ उत्पादन पर रोक लगाने की घोषणा कर दी, मानों चीनी घोटाले का कारण अधिक गुड़ उत्पादन हो। यह नीति भी अप्रत्यक्ष रूप से चीनी लॉबी को लाभ पहुँचाने के लिए अपनाई गई, लेकिन जन दबावों के चलते इसे वापस ले लिया गया।

चीनी घोटाले की जाँच के लिए सरकार ने अवकाश प्राप्त नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक श्री ज्ञान प्रकाश को चीनी घोटाले के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं की जाँच का आदेश दिया है। चीनी आयात के सारे फैसले जिस तरह हुए, उससे न केवल खाद्य मंत्रालय शक के घेरे में आ गया है, बल्कि प्रधानमंत्री कार्यालय पर भी इस घोटाले में शामिल होने का आरोप लगा है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि इस तरह की जाँच का क्या अर्थ है? एक ऐसे व्यक्ति को जाँच का दायित्व सौंपा जाना, जो भारत की राजनीतिक-प्रशासनिक व्यवस्था का अंग नहीं है, यह सिद्ध करता

आँकड़े	लेवी	खुली
(लाख टन में)		
जमा भंडार	7.49	24.76
उत्पादन	32.18	65.33
कुल	39.67	90.09
जारी (मई, 94 तक)	30.06	48.25
खुली बिक्री से वसूली	2.50	
आवश्यकता (NOV,94 तक)	20.11	36.50
कमी	8.0	
आयात	10.00	7
अनुमानित भंडार	22.11	46.34
शेष	2.0	9.84

(आँकड़े नव.-अक्टू. 93-94) स्रोत ISMA तथा खाद्य मंत्रालय

है कि जाँच की सारी आंतरिक प्रक्रियाएं या तो प्रभावहीन हो चुकी हैं या अविश्वसनीय हो गयी हैं। यदि मंत्रिमण्डलीय जाँच समिति को राजनीति से प्रेरित मान लिया जाए तो यह जाँच वर्तमान नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक से कराई जा सकती थी, क्योंकि उसके पास एक संवैधानिक सत्ता है, लेकिन श्री ज्ञान प्रकाश, जो कि वर्तमान में किसी भी पद पर नहीं हैं, किस संवैधानिक या कानूनी अधिकार से विभिन्न विभागों की फाइलें मँगा सकेंगे और उसका परीक्षण करेंगे, क्योंकि उन्हें कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। लोकतंत्र में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पालन जरूरी है। जाँच प्रक्रिया में भी इसे अपनाना आवश्यक हो जाता है, और सरकार इस जाँच समिति को कितनी गंभीरता से ले रही है, इसका पता इस तथ्य से चलता है कि ज्ञान प्रकाश समिति को इस चीनी घोटाले के लिए जिम्मेदार राजनैतिक-व्यापारी गठजोड़ का पता लगाने के लिए नहीं कहा गया है, जबकि इस घोटाले का मूल कारण यही है। शीरे पर से नियंत्रण को हटा कर यह गठजोड़ पूर्व में भी काफी लाभान्वित हुआ था। इस तरह देश की चीनी लॉबी को तो लाभ पहुँचाया गया (बंबई स्टॉक एक्सचेंज में दर्ज चीनी कम्पनियों ने पिछले वर्ष 164 करोड़ का शुद्ध लाभ कमाया था, इसका प्रमाण प्रस्तुत करता है) और ज्ञान प्रकाश के जाँच बिंदुओं में यह शामिल करना भी उचित नहीं समझा गया कि इस घोटाले से सरकारी कोष को कितना नुकसान हुआ तथा चीनी उपभोक्ताओं के पास से कितने अरब रुपये की धनराशि चीनी उद्योगपतियों के पास पहुँची, और आखिर में एक प्रश्न यह भी उठता है कि आखिर इस तरह की जाँच समितियों से प्राप्त रिपोर्ट का क्या महत्व रह जाता है? जबकि सरकार इन रिपोर्टों से प्राप्त निष्कर्षों का इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्यों से करती है। प्रतिभूति घोटाले के संदर्भ में जे.पी.सी. की रिपोर्ट का हश्र सभी के सामने है। आज प्रशासनिक-राजनीतिक व्यवस्था इतनी भ्रष्ट हो चुकी है कि इन जाँच प्रक्रियाओं का कोई महत्व नहीं रह जाता। पहले तीन वर्षों की उदारीकरण की नीति के दौरान यह प्रतिभूति, सार्वजनिक उपक्रमों के शेयरों से संबंधित घोटाले की कड़ी में तीसरा महा घोटाला है : उदारीकरण की नीति भविष्य में इसी प्रकार घोटालों की अनवरत श्रृँखला चलाती रहे, आम जनता की प्रशासनिक अधिकारियों एवं राजनीतिज्ञों से यही अपेक्षा है।

घटनाक्रम

● नवम्बर, 1993	नागरिक आपूर्ति मंत्रालय द्वारा भविष्य में चीनी की कमी को देखते हुए खाद्य मंत्रालय से 10 लाख टन चीनी के आयात की सिफारिश खाद्य मंत्रालय द्वारा देश में पर्याप्त उत्पादन होने के अनुमान पर इस सिफारिश को रद्द करना।
● जनवरी, 1994	अत्यधिक गुड़ उत्पादन व चीनी उद्योग में गन्ने की कमी को लेकर खाद्य मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री से गुड़ उत्पादन पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गुड़ उत्पादन पर नियंत्रण लागू करना, किसानों के आंदोलन के कारण यह फैसला 8 फरवरी को वापस ले लिया गया।
● फरवरी, 1994	शीरे की ऊँची कीमतों के कारण गुड़ व खांडसारी उद्योग में गुड़ की ज्यादा मांग गुड़ व खांड़सारी में अच्छी कीमतें मिलने के कारण चीनी मिलों पर गन्ना न पहुँच पाना।
● मार्च, 1994	मंत्रिमण्डल की मूल्य संबंधी समिति (CC) द्वारा चीनी को खुले सामान्य लाइसेंस (OGL) के अंतर्गत लाने का निर्णय एवं कैबिनेट सचिव द्वारा राज्य व्यापार निगम (S C) एवं खनिज एवं धातु व्यापार निगम (MM C) को चीनी आयात करने का निर्देश वित्त मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कारण होने वाले घाटे की सब्सिडी देने से इंकार करना।
● अप्रैल, 1994	प्रधानमंत्री द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कोटे को यथावत बनाये रखने का निर्णय एवं एम.टी.सी. और एम .एम.टी.सी. को 8.5 लाख चीनी आयात करने का निर्देश।
● मई, 1994	कैबिनेट सचिव द्वारा खाद्य सचिव को निर्देश देकर मई के उत्तरार्द्ध में भारतीय खाद्य निगम (CI) से चीनी आयात करने का निर्देश। खाद्य निगम द्वारा आयात का टेंडर जारी करना, लेकिन खाद्य मंत्री द्वारा इसे रद्द करना एम.एम.टी.सी. द्वारा 385 डॉलर प्रति टन के हिसाब से आयात का अनुबंध।
● जून, 1994	S C अनुबंध एवं MM C द्वारा 407 डॉलर से 415 डॉलर प्रति टन के हिसाब से 6.26 लाख टन चीनी आयात का अनुबंध। निजी कम्पनियों द्वारा भी 6.96 लाख टन चीनी आयात का अनुबंध।

पृथ्वी के रहस्यों को उधेड़ता अंतरिक्ष यान

एन्डीवर (Endeavour)

पृथ्वी के आंतरिक वातावरण के सूक्ष्म निरीक्षण के लिए 8 अप्रैल, 1994 को अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित केनेडी अंतरिक्ष केन्द्र से एन्डीवर का प्रक्षेपण किया गया। इसके 9 दिवसीय अंतरिक्ष अभियान के प्रारंभ होने में 48 घंटे की देरी इसलिए हो गई क्योंकि मौसम कुछ साफ़ नहीं था और इसके विशालकाय शक्तिशाली इंजनों का पुनरीक्षण करना था। एन्डीवर अपने 9 दिवसीय मिशन से 2 दिन अधिक अर्थात् 11 दिन अंतरिक्ष में रहकर सकुशल वापस लौटा। इस अभियान के नेता सिडनी गुटिरेज ने इस अभियान को एक महान सफलता बताया है।

अमेरिका अंतरिक्ष केन्द्र 'नासा' द्वारा इस वर्ष एन्डीवर के चार अभियान आयोजित करने की योजना है- यह पहला अभियान है। इन अभियानों का उद्देश्य पृथ्वी और उसके मृदु वातावरण का गहन अध्ययन करना है। एन्डीवर अंतरिक्ष यान अमेरिका, जर्मनी और इटली द्वारा संयुक्त रूप से विकसित अत्याधुनिक राडार तकनीक से सुसज्जित है। तीन क्रमिक रूप से अनवरत चलने वाले राडारों की सहायता से यह पृथ्वी पर अपने सिग्नल भेजता रहता है। इसके पश्चात् कम्प्यूटर इन राडार सिग्नलों को चित्रों में परिवर्तित करते रहते हैं। इस अंतरिक्ष यान ने अभियान के पहले ही दिन लगभग पंद्रह लाख वर्ग मील क्षेत्र का सर्वेक्षण करके संकेतों को पृथ्वी पर भेजा। इस अंतरिक्ष यान में उपयोग की गई तकनीक इसके पूर्व अमेरिका और रूसी वैज्ञानिकों द्वारा जासूसी उपग्रहों में की जा चुकी है, लेकिन मानवहित के लिए इरा तकनीक का उपयोग पहली बार किया जा रहा है।

राडार की तरंगें घने अँधेरे, घने बादलों, जंगलों और पृथ्वी के बाह्य और भीतरी आवरण को भेदने में